न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 05 सन् 2017 दायरा दिनांकः–11.01.2017

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र भीखसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू
2. रविन्द्रसिंह आयु 17 वर्ष नाबालिग पुत्र भीखसिंह जरीये प्राकृतिक सरंक्षक भाई सुरेन्द्रसिंह पुत्र भीखसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. भीखसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू
2. रतनसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू
3. गुमानसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू
4. कमलेशकंवर पुत्री गुमानकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति राजपुत हाल निवासी ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर
5. धनराज पुत्र मोहनलाल जाति महेश्वरी निवासी कानुता तहसील सुजानगढ जिला चूरू
6. करणीसिंह पुत्र सुलतानसिंह जाति राजपुत निवासी शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू
7. श्रीमान उप पंजियक अधिकारी बीदासर जिला चूरू
8. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

9. सरोज पुत्री भीखसिंह पत्नी शिशपालसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम जेगला तहसील नोखा जिला बीकानेर
10. सरीता पुत्री भीखसिंह पत्नी महावीरसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बोसेरी तहसील जायल जिला नागौर

गौण प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीगण

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24.01.2020

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण एंव गौण प्रतिवादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार के ... प्रतिवादी संख्या 01 एक ता 03 तीन के पिता स्व. मेघसिंह के जीवनकाल ... खसरा संख्या 657 छः सौ सतावन तादादी 39

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:57:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

उनचालीस बीघा 12 बारह बिश्वा व खसरा संख्या 754 सात सौ चौवन तादादी 22 बाइस बीघा 07 सात बिश्वा वाके रोही तत्कालीन कातर बडी वर्तमान शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 01 एक ता 03 तीन एंव प्रतिवादी संख्या 04 चार के पिता बचनसिंह को उनके पिता स्व. मेघसिंह की खातेदारी भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण एंव गौण प्रतिवादीगण स्व. मेघसिंह के पौत्र पौत्रीयां एंव प्रतिवादी संख्या 01 एक भीखसिंह के पुत्र पुत्रीयां है जो वादीगण एंव गौण प्रतिवादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 एक ता 04 चार की पैत्रिक कोपासर्नरी सम्पति के है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पौत्र पौत्री एंव पुत्र पुत्रीयां के जन्म से ही दादा एंव पिता की सम्पति में हिस्सा कायम हो जाता है इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 एक की खातेदारी में वादीगण एंव गौण प्रतिवादीगण का 1/20–1/20 हिस्सा कायम हो गया। मेघसिंह के स्वर्गवास के पश्चात वादगत खेतों की खातेदारी में वादीगण एंव गौण प्रतिवादीगण प्रत्येक का प्रतिवादी संख्या 01 एक के साथ साथ 1/20–1/20 हिस्सा कायम हो गया परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 एक कर्ता खानदान होने के कारण पटवारी हल्का से सांठ गांठ करके वादगत खेतों की खातेदारी 1/4 हिस्सा की अपने नाम एंव 1/4–1/4 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 02 दौ वा 03 तीन एंव प्रतिवादी संख्या 04 के पिता बचनसिंह के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित कराई। वर्तमान राजस्व रेकार्ड गलत एंव शुन्य है इसलिए घोषित किया जावे कि वादगत खेतों के वादीगण एंव गौण प्रतिवादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 एक 1/20–1/20 हिस्सा के खातेदार कृषक है। प्रतिवादी संख्या 01 एक ने वादगत खेत खसरा संख्या 657 छः सौ सतावन में सें 10 दस बिश्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 05 पांच को एंव 10 दस बिश्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 06 छः को एंव 10 दस बिश्वा भूमि वादीगण एंव गौण प्रतिवादीगण की माता कमलेशकंवर को विक्रय की। जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 06 छः ता 07 सात एंव वादीगण की माता कमलेशकंवर के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 05 पांच ने खेत खसरा संख्या 657 छः सौ सतावन में सें 10 दस बिश्वा भूमि खरीद की जिसमें से 08 आठ बिश्वा भूमि गैर मुमकिन औधोगिक में परिवर्तन करायी जिसके खसरा संख्या 994/657 नौ सौ चौरानवे बट्टा छः सौ सतावन तादादी 08 आठ बिश्वा राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 05 पांच के नाम अंकित हो चुकी है तथा शेष भूमि 02 दौ बिश्वा भूमि खसरा संख्या 995/65[illegible] पिचानवे बट्टा छः सौ सतावन में खातेदारी अंकित है। वादीगण एंव गौण प्रतिवादीगण की माता कमलेशकंवर पत्नी भीखसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:57:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

वादगत खेत खसरा संख्या 995/657 नौ सौ चौरानवे बट्टा छः सौ सतावन में 10 दस बिश्वा खातेदार थी उनकी मृत्यु के बाद उक्त हिस्सा भूमि वादीगण एंव गौण प्रतिवादीगण के संयुक्त रूप से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में चली आ रही है। वादगत खेतों की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 एक के नाम अंकित होने के कारण उसके मन में बेइमानी आ गई तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक वादगत खेतों की गलत खातेदारी के आधार पर सम्पूर्ण खातेदारी भूमि को विक्रय करने पर उतारू है। प्रतिवादी संख्या 02 दौ ता 06 छः प्रतिवादी संख्या 01 एक को पूर्ण सहयोग कर रहे है जिससे वादीगण एंव गौण प्रतिवादीगण को अपूर्तीय क्षति हो रही है। वादीगण ने दिनांक 31.12.2016 को प्रतिवादीगण संख्या 01 एक ता 06 छः से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेतों की खातेदारी में संशोधन करवाकर वादीगण एंव गौण प्रतिवादीगण के नाम 1/20–1/20 हिस्सा की खातेदारी अंकित कराये। प्रतिवादीगण संख्या 01 एक ता 06 छः ने साफ इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक ने वादीगण को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी की वादगत खेतों की खातेदारी उसके अकेला के नाम अंकित है इसलिए वोह वादगत खेतों में सम्पूर्ण खातेदारी भूमि को विक्रय करके विक्रय पत्र निष्पादित करवाकर ही रहेगा। उसने वादगत खेतों की भूमि विक्रय करने की बात पक्की कर ली है तथा साई भी प्राप्त कर ली है। वोह शीघ्र ही केता के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादन करवाकर वादगत खेतों से वादीगण एंव गौण प्रतिवादीगण को बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा केता का करवाकर ही रहेगा। इस दोषपूर्ण कृत्य से प्रतिवादीगण संख्या 01 एक ता 06 छः को वर्जित नहीं किया गया तो वादीगण अपनी संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रिक अविभाजित भूमि से वंचित हो जायेगें जिससे उन्हें अपूर्तीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सुरत में पूर्ण नहीं हो पायेगी इसलिए वादीगण न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादीगण को वर्जित फरमाया जावे कि वादगत खेतों के किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन बैय नहीं करे ओर ना ही वादीगण को उनके कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नही करे ओर ना ही कब्जा काश्त में कसी प्रकार की दखलदांजी पैदा स्वयं करें या अन्य किसी अन्य से करायें। वादगत खेत वादीगण के संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रिक अविभाजित कोपासर्नरी सम्पति के है जो वादीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के है इसलिए वादीगण को वादाधार वाद प्राप्त है। [illegible] संख्या 01 एक ता 06 छः के द्वारा ऐलानियां धमकियां दिनांक 31.12.2016 को [illegible] वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:57:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

वादीगण के साथ गौण प्रतिवादीगण का हित समान रूप से नियत है। गौण प्रतिवादीगण वर्तमान में अपने ससुराल में होने के कारण उन्हें वाद में वादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सका ओर कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए उन्हे वाद में गौण प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। राजस्थान सरकार वाद मे आवश्यक पक्षकार है इसलिए कानुनी आपतियों का मध्य नजर रखते हुए उसे दावा में प्रतिवादी संख्या 08 आठ के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। घोषणात्मक वाद में राज्य सरकार को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80(2) सी.पी.सी. का 2 दौ माह की अवधि का कानुनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का है एंव राज्य सरकार को दौ माह को नोटिस दिया गया तो समय लगेगा तब तक प्रतिवादीगण अपने गलत उदेश्य में सफल हो जायेगें तो वादीगण के वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा इसलिए वादीगण द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से छुट की अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। दावा घोषणात्मक एंव राजस्व रेकार्ड संशोधन चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ती का है वादगत खेत रोही ग्राम शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 बावजुद तामिल अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पेरोकार राज की तरफ से प्रतिवादी संख्या 08 ने दावा में राजहित नहीं होना अंकित किया है। दावा में प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब पेश करने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण ने वाद के समर्थन में जमाबंदी सम्वत 2058–2061, 2070–2073, मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2028 से 2047 पेश की है जिससे साबित होता है कि वादगत भूमि पुस्तेनी है।

बहस वकील वादीगण की एक पक्षीय सुनी गई। वकील वादीगण ने भी अपनी बहस में दावा को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील वादीगण की बहस व दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होता है कि वादगत भूमि वादीगण की पुस्तैनी भूमि है। ओर पुस्तेनी भूमि में वादीगण का हित नियत है। किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:57:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रकरण हाजा में वादीगण की ओर से वादगत भूमि उनके संयुक्त हिन्दु परिवार की कोपार्सनरी सम्पति होना तथा वादगत भूमि वादीगण के दादा मेघसिंह के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की होना जाहिर किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी भली भांति जाहिर होता है कि वादगत भूमि वादीगण एवं गौण प्रतिवादी की पुस्तेनी भूमि है जो पहले वादीगण के दादा मेघसिंह पुत्र रिडमलसिंह के खातेदारी अधिकार की थी। मेघसिंह के स्वर्गवास के बाद वादगत भूमि वादीगण के पिता भीखसिंह के संयुक्त खातेदारी में दर्ज हुई। वादगत भूमि वादीगण व गौण प्रतिवादी के दादा मेघसिंह की होने से वादगत भूमि में वादीगण व गौण प्रतिवादी प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा बनता है। वादगत भूमि में साबिका खसरा संख्या 657 तादादी 39 बीघा 12 बिश्वा में प्रतिवादी संख्या 1 भीखसिंह ने अपनी 1/4 हिस्सा में सें 1 बीघा 10 बिश्वा भूमि विक्रय कर दी है, इस कारण वर्तमान खसरा संख्या 995/657 तादादी 39 बीघा 4 बिश्वा में प्रतिवादी संख्या 1 भीखसिंह की 10 बिश्वा भूमि शेष बचती है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री योग्य होने से स्वीकार कर इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम शिवपुरी के खसरा संख्या 754 तादादी 22–07 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 भीखसिंह पुत्र मेघसिंह हिस्सा 1/4 के स्थान पर भीखसिंह पुत्र मेघसिंह, सुरेन्द्रसिंह, रविन्द्रसिंह, सरोज, सरीता पिता भीखसिंह जाति राजपुत निवासीगण शिवपुरी के ब.हि.ब. दर्ज की जावे तथा खसरा संख्या 995/657 तादादी 39 बीघा 4 बिश्वा में प्रतिवादी संख्या 1 भीखसिंह पुत्र मेघसिंह 168 हिस्सा के स्थान पर भीखसिंह पुत्र मेघसिंह के 10 बिश्वा व शेष 7 बीघा 18 बिश्वा भूमि सुरेन्द्रसिंह, रविन्द्रसिंह, सरोज, सरीता पिता भीखसिंह जाति राजपुत निवासीगण शिवपुरी के ब.हि.ब. दर्ज की जावे। उपरोक्तानुसार खातेदारी दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् स्वंय वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:57:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned by CamScanner